प्राक्कथन

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है। प्रतिवेदन में पाँच विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्रों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल है।

सरकारी कम्पनी अथवा निगम के लेखाओं के संबंध में प्रतिवेदनों को भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 19-ए के अतर्गत सरकार को प्रस्तुत किया गया है। इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति शामिल की गई है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले वह हैं जो 2016-17 की अवधि हेतु लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाए गए थे तथा वह है जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे परंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सूचित नहीं किए जा सके थे। 2016-17 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां कही आवश्यक था, शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षा द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानको के अनुसार की गई है।